युवा मंडल गठन हेतू नियम व शर्ते

सभी सदस्य युवा/युवती की आयु 15--29 वर्ष तक हो
सभी सदस्य युवा/युवती उसी गांव के मूल निवासी हो
सदस्य युवा/युवतियों का चयन गांव के हर कोनो से हो।
युवा पदाधिकारी सभी धर्म, जाति, वर्ण, समुदाय से हों
युवा पदाधिकारियों के चयन मे दलित एवं पिछडे वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो
युवा पदाधिकारियों मे युवतियों का प्रतिनिधित्व हो
अन्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय युवा पुरूस्कार विजेताओं को प्राथमिकता दी जाए
युवा पदाधिकारियों के चयन के समय की गई बैठक मे गांव के सरपच व पंच का उपस्थित रहना अनिवार्य है।
युवा पदाधिकारियों व सदस्यों का संपर्क जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की शाखा से व नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों से निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए।
समय-समय पर जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों मे युवा मंडलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
युवा पदाधिकारियों द्वारा ग्रमीण स्तर पर सरकारी योजनाओं को कार्यन्वित करने के लिए सहयोग करेंगें।
सभी युवा मंडलों द्वारा राष्ट्रीय/राज्य की युवा नीति का अनुसरण करना अनिवार्य है।
सभी युवा मंडलों की मंडल स्तर पर एक महीने मे जिला स्तर पर तीन महीने मे राज्य स्तर पर छह महीने मे एक बैठक/सैमीनार का आयोजन किया जाएगा। जिसमें ब्लॉक स्तर पर युवा शाखा के अधिकारी जिला स्तर पर प्रशासन के उच्च अधिकारी राज्य स्तर पर विभाग क निदेशक/ प्रधान सचिव / संबधित मंत्री / माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
नोटः-- युवा क्लब के सभी सदस्यों की बैंक पासबुक की फोटाप्रति तथा आधार कार्ड की फोटो प्रति फॉर्म के साथ सलग्न करें।